लॉर्ड वेलेजली (1798–1805 ई.)

वेलेजली के समय भारत की राजनीतिक दशा

लॉर्ड वेलेजली भारत में 1798 ई. में कम्पनी प्रदेशों का गवर्नर जनरल

बनकर आया और इस पद पर 1805 ई. तक रहा। उसकी नियुक्ति के समय भारत का राजनीतिक चित्र विषमताओं से रंगा पड़ा था। यद्यपि कम्पनी की स्थिति काफी शोचनीय और अस्थिर थी, तथापि भारतीय शक्तियों की अपेक्षा उसकी स्थिति अच्छी थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास के आसपास के प्रदेशों पर कम्पनी का शासन स्थापित हो चुका था। अवध, हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब कम्पनी के नियन्त्रण में थे।

मराठों और मैसूर के टीपू सुलतान ने भी अंग्रेजों से कई सन्धियाँ कर रखी थीं, पर ये सन्धियाँ विशेष प्रभावी नहीं थीं। ये दोनों ही शक्तियाँ अंग्रेजों की प्रबल प्रतिद्वन्द्वी थीं। मराठों की शक्ति बहुत बढ गई थी। उन्होंने अपना एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिया था। राजपूतों के छोटे-छोटे राज्य उनके आक्रमण का शिकार बन रहे थे, किन्तु अंग्रेजों के भाग्य में मराठों से उन दिनों गृह-कलह मचा हुआ था। पारस्परिक विद्वेष और संघर्ष के कारण उनकी शक्ति क्षीण होने लगी थी। मराठों के योग्य नेता मर चुके थे और भविष्य मराठों के पतन की प्रतीक्षा में था।

मैसूर म इस समय हैदरअली के पूत्र टीपू सुलतान का राज्य था। तृतीय मैसूर युद्ध में उसकी शक्ति को गहरा आघात पहुँचा था और उसका लगभग आधा राज्य भी छिन चुका था, तथापि वह अब भी अंग्रेजों के लिए गम्भीर सिर-दर्द बना हुआ था। उसके मस्तिष्क में अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने की योजनाएँ घूम रही थीं। वह उनसे बदला लेने के लिए विभिन्न विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था

दिल्ली का सम्राट् पहले अंग्रेजों के प्रभाव में था, किन्तु इस समय मराठों के संरक्षण में चला गया था। पंजाब में महाराजा रणजीतसिंह के नेतृत्व में सिक्ख उदीयमान थे। वे अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में संलग्न थे, तथापि इतने शक्तिशाली नहीं हो सके थे कि अंग्रेजों के लिए तत्काल संकट बन सकें। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति अंग्रेजों के हित में नहीं थी। फ्राँस और इंग्लैण्ड युद्धरत थे तथा नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप को रौंदते हुए मिस्र तक जा पहुँचा था। वह भारत में टीपू सुलतान को सैनिक सहायता देने का आश्वासन दे रहा था। भारत स्थित फ्राँसीसी भी, समय अपने अनुकूल जान कर, भारत में अपने खोए हुए प्रभाव को पुनर्स्थापित करने के लिए लालायित थे। अतः उन्होंने भारतीय राजाओं के यहाँ नौकरी कर ली थी और वे उनकी सेनाओं को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित कर रहे थे।

इस प्रकार यद्यपि परिस्थितियाँ कम्पनी सरकार के प्रतिकूल थीं, फिर भी कम्पनी कम शक्तिशाली नहीं थी। कम्पनी के सौभाग्य से केवल कुछ शक्तिशाली राज्यों को छोड़कर भारत के अन्य सभी राज्य पतनोन्मुख थे। जो राज्य शक्तिशाली थे, वे भी पारस्परिक फूट तथा कूटनीतिक अयोग्यता के शिकार थे। लॉर्ड वेलेजली भारत की इन सब स्थितियों और दुर्बलताओं से परिचित था इसलिए भारत की राजनीतिक दशा को प्रतिकूल बताते हुए भी उसने चिन्ता नहीं की।

Scanned with CamScanner

वेलेजली की नीति

भारत की राजनीतिक दशा इतनी स्पष्ट थी कि वेलेजली को अपनी नीति निर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने हस्तक्षेप व पहल करने की नीति के अनुसरण का निश्चय किया। यद्यपि पिट्स इण्डिया एक्ट से उसकी यह नीति टकराती थी, तथापि उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि भारतीय मामलों में दखल देकर वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और कम्पनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के मार्ग पर अग्रसर होगा।

वेलेजली की नीति के दो मुख्य लक्ष्य थे—

1. भारत में कम्पनी की सत्ता को सर्वोपरि बनाना तथा देशी राज्यों को कम्पनी का संरक्षण प्राप्त करने को बाध्य करना, एवं

2. भारत को फ्राँसीसी प्रभाव से मुक्त करना।

अपने इन लक्ष्यों की पूर्ति में वेलेजली को कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। भारतीय राजा कमजोर और पारस्परिक फूट के शिकार थे। वे एक होकर कम्पनी के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने में असमर्थ थे अतः पहले लक्ष्य को पूर्ण करना कठिन न था। दूसरे लक्ष्य की पूर्ति भी इसलिए सरल हो गई थी कि 1798 ई. में ब्रिटेन के नेल्सन ने फ्राँस के नेपोलियन को निर्णायक पराजय दी थी।

सहायक सन्धि (Subsidiary Alliance)

लॉर्ड वेलेजली महान् साम्राज्यवादी था। भारत में कम्पनी की प्रभुसत्ता के विस्तार के लिए उसने 'सहायक सन्धि' (Subsidiary Alliance) की नीति का अनुसरण कर बहुत ही कुशल कूटनीतिक खेल खेला। सहायक सन्धि एक प्रकार का प्रतिज्ञा-पत्र था जिसे अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं पर बलपूर्वक थोपा था। भारतीय राजा उसकी चाल में सरलता से इसलिए फंस गए कि वे कमजोर और असंगठित थे। यद्यपि सहायक सन्धि की नीति बिलकुल नई नहीं थी (क्योंकि कम्पनी क्लाइव के समय से ही इस पर अमल करती आ रही थी और अवध के प्रति कम्पनी की नीति सहायक सन्धि से मिलती-जुलती ही थी) तथापि वेलेजली ने इसे एक निश्चित रूपरेखा दी। अतः उसे ही 'सहायक सन्धि' का जन्मदाता होने का गौरव मिला।

'सहायक सन्धि' देशी राज्यों और कम्पनी के बीच सम्पन्न होती थी। इस सन्धि के अनुसार कम्पनी द्वारा देशी राज्य को सैनिक सहायता का वचन दिया जाता था और बदले में उसे निम्नलिखित शर्तें माननी पड़ती थीं—

(1) सन्धि को स्वीकार करने वाला देशी राजा ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आधिपत्य स्वीकार करेगा और बिना उसकी अनुमति के किसी अन्य शक्ति से युद्ध या सन्धि नहीं करेगा। यदि उसका किसी से झगड़ा हो तो वह अंग्रेजों की मध्यस्थता अथवा उनके निर्णय को स्वीकार करेगा। इस शर्त द्वारा देशी राज्यों की विदेश नीति पर कम्पनी का पूरा नियन्त्रण स्थापित हो गया।

(2) कम्पनी की अनुमति के बिना वह अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य

Scanned with CamScanner

यूरोपीय को अपने यहाँ नहीं रखेगा। इस शर्त का उद्देश्य स्पष्टतः देशी राज्यों से फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करना था।

(3) वह अपने राज्य में एक अंग्रेज सेना रखेगा जिसका व्यय उसे देना पड़ेगा अथवा व्यय के बदले में कुछ प्रदेश अंग्रेजों को देगा। यह शर्त ऐसी थी जिससे कम्पनी के राज्य में वृद्धि हुई।

(4) देशी राजा अपनी रियासत में एक अंग्रेजी रेजीडेण्ट रखेगा और उससे प्रशासनिक कार्यों में परामर्श लेगा। रेजीडेण्ट के परामर्श से ही वह शासन-कार्य संचालित करेगा। यह शर्त ऐसी थी जिसके माध्यम से देशी राज्यों में कम्पनी का एक विश्वस्त अधिकारी सदैव उपस्थित रहकर शासन की गतिविधियों पर अपनी दृष्टि रख सकता था।

(5) इन सब शर्तों के बदले में कम्पनी संरक्षित राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और आन्तरिक विद्रोही तथा बाह्य आक्रमण से उस राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व वहन करेगी।

सहायक सन्धि के लाभ—सहायक सन्धि द्वारा कम्पनी को ये महत्त्वपूर्ण लाभ हुए—

(1) इस व्यवस्था में देशी राज्यों पर कम्पनी का प्रत्यक्ष कठोर नियन्त्रण स्थापित हो गया। अब कम्पनी को यह भय नहीं रहा कि दो या अधिक देशी राज्य संयुक्त होकर किसी तरह का विरोध करेंगे।

(2) इस सन्धि-व्यवस्था के माध्यम से कम्पनी के साधन इतने सम्पन्न और दृढ़ हो गए कि कालान्तर में वह देश में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने में सफल हुई। सन्धि से बँधने वाले देशी राज्य कम्पनी को धन या प्रदेश दे देते थे जिसकी आय से कम्पनी की सेना उस राज्य को संरक्षण देती थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे देशी राज्यों के व्यय पर अधिक से अधिक अंग्रेजी सेना भारत में बनी रह सकती थी।

(3) इस सन्धि में सम्मिलित होने वाले देशी राजाओं के पारस्परिक विवाद समाप्त हो गए। इनको निपटाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार ने स्वयं सम्भाल लिया। इस प्रकार देशी राज्य अंग्रेजों के निर्णय की कृपा पर आश्रित हो गए।

(4) इस व्यवस्था से कम्पनी राज्य बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित हो गया। कम्पनी की सेना देशी राज्यों में रहने लगी, अतः देशी राज्यों द्वारा विद्रोह का भय नहीं रहा।

(5) इस प्रणाली से किसी भी यूरोपीय शक्ति को ईर्ष्या नहीं हुई, क्योंकि सन्धि में उल्लेख था कि देशी नरेशों के आन्तरिक मामलों में अंग्रेज कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सन्धि द्वारा बाह्य रूप से देशी नरेशों की स्वतन्त्रता कायम रखी गई। इस व्यवस्था का अंग्रेजों को एक बड़ा लाभ यह हुआ कि यदि कोई युद्ध होता तो वह कम्पनी-राज्य के भीतर नहीं बल्कि देशी राज्यों की भूमि पर होता था। इस प्रकार कम्पनी का राज्य-क्षेत्र युद्ध के भीषण परिणामों से अप्रभावित ही रहता था।

Scanned with CamScanner

(6) इस व्यवस्था से अंग्रेजों को देशी राज्यों से फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। देशी राज्यों में अंग्रेजी सेना और अंग्रेज कर्मचारी ही स्थान पा सकते थे। कम्पनी की अनुमति के बिना अन्य कोई यूरोपीय सेवा में नहीं लिया जा सकता था। इस अवस्था से फ्रांसीसी देशी राज्यों में षड्यन्त्र रचने और कुचक्र चलाने से वंचित हो गए।

(7) इस सन्धि द्वारा भारत में शान्ति-स्थापना में बड़ा योग मिला। देशी राज्यों के पारस्परिक संघर्ष समाप्त हो गए। उनकी महत्त्वाकांक्षाओं पर अंकुश लग गया। वे कम्पनी के संरक्षण में स्वयं को सुरक्षित समझ कर शान्तिपूर्ण ढंग से रहने लगे।

(8) देशी राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होने में असमर्थ हो गए, अतः अंग्रेजों को अपने साम्राज्य-विस्तार में बहुत सुविधा हो गई।

(9) सन्धि में सम्मिलित देशी राज्यों में ब्रिटिश रेजीडेण्ट रहने लगा। फलस्वरूप देशी राज्यों के आन्तरिक शासन पर भी कम्पनी का थोड़ा-बहुत नियन्त्रण हो गया। वास्तविकता यह थी कि देशी राजा ऐसा कोई भी प्रशासनिक कार्य करने से भय खाने लगे, जो अंग्रेजों की इच्छा के अनुकूल न हो।

इस प्रकार सहायक सन्धि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश कम्पनी के लिए एक वरदान सिद्ध हुई।

सहायक सन्धि से हानियाँ—जहाँ सहायक सन्धि से अंग्रेजों को अनेकों लाभ हुए वहाँ देशी राज्यों और भारतीय जनता के लिए इस सन्धि के परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुए—

(1) भारतीय राजाओं को सबसे बड़ी हानि यह पहुँची कि उनकी स्वतन्त्रता अप्रत्यक्ष रूप से नष्ट हो गई। धीरे-धीरे वे दासता के बन्धन में बुरी तरह जकड़ गए।

(2) सन्धि का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि संरक्षित राज्यों में जो भाड़े के सैनिक थे, उन्हें निकाल दिया गया। बेकार होकर वे चोरी-डकैती करने लगे। बहुत-से सैनिक पिण्डारियों से जा मिले और जन-साधारण के लिए कष्ट-कारक बन गए।

(3) चूंकि देशी राजाओं के आन्तरिक विद्रोहों और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों ने ले लिया, वे निश्चित होकर विलासी और अकर्मण्य बन गए।

(4) विद्रोहों और आक्रमणों के भय से प्रत्येक देशी राजा अपने शासन के प्रति सचेत रहता था। अब यह भय दूर हो जाने से राज्य का शासन खराब हो गया और प्रजा के पास अपने राजा के अत्याचारों को दूर करने का कोई उपाय नहीं रहा। सन्धि ने देशी राज्यों में नैतिक पतन और शक्तिहीनता की स्थिति उत्पन्न कर दी। देशी राजा अत्याचारी और स्वेच्छाचारी हो गए। वे प्रजा पर अत्याचार द्वारा धन वसूल करके कम्पनी सरकार को देने लगे, ताकि कम्पनी सरकारी को उनके

राज्य के किसी क्षेत्र पर अधिकार करने का बहाना न मिले। अंग्रेजों के हस्तक्षेप के भय से गरीब जनता में इन अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस नहीं रहा।

(5) कम्पनी ने एक चाल और खेली। उसने बहुत-से राज्यों को कुशासन और भ्रष्टाचार के आधार पर कम्पनी राज्य में मिला लिया।

(6) इस सन्धि से देशी राज्य पराश्रयी बन गए। वे अंग्रेजी सहायता पर शनैः-शनैः इतने अधिक निर्भर हो गए कि वे उनको ही अपना सब कुछ समझने लगे। कालान्तर में वे अंग्रेजी साम्राज्य के पूर्ण समर्थक और सहायक बन गए तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के मार्ग में बाधक सिद्ध हुए। वे अपने राष्ट्र-प्रेम को भूल कर गोरी चमड़ी के गुलाम हो गए।

स्पष्ट है कि सहायक सन्धि की प्रथा से कम्पनी चाहे कितनी भी लाभान्वित हुई हो, लेकिन भारतीय राजाओं, भारतीय प्रजा और भारतीय राष्ट्रीयता का इससे भारी अनिष्ट हुआ।

सहायक सन्धि का क्रियात्मक रूप—वेलेजली ने सहायक सन्धि के अस्त्र का खुल कर प्रयोग करने का निश्चय कर लिया। उसने प्रत्येक सम्भव उपाय से इस सन्धि को व्यावहारिक रूप दिया। इसके लिए उसने तीन उपायों से काम किया—

(1) मित्र-राज्यों पर इस सन्धि को जबरदस्ती थोपा गया, जैसे निजाम हैदराबाद का नवाब अवध।

(2) जिन शक्तियों से युद्ध करना पड़ा, उन पर विजय प्राप्त कर बलपूर्वक सन्धि लादी गई, जैसे मराठे व मैसूर शासक।

(3) जिन राज्यों की आन्तरिक दशा अधिक खराब थी अथवा जिनका कोई विशेष महत्त्व नहीं था, उन्हें कम्पनी राज्य में मिला लिया गया।

इन तीनों उपायों द्वारा सहायक सन्धि को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने के बाद जब वेलेजली भारत से लौटा तो कम्पनी के साम्राज्य और प्रभुत्व में बहुत अधिक विस्तार हो चुका था। लगभग सभी देशी राज्य सहायक सन्धि में सम्मिलित हो चुके थे।

निजाम के साथ सहायक सन्धि—वेलेजली ने सबसे पहले निजाम हैदराबाद से सहायक सन्धि स्वीकार करने के लिए कहा। निजाम हैदराबाद को मराठों और मैसूर के सुलतान टीपू से सदा भय रहता था, अतः विवशता की स्थिति में 1798 ई. में निजाम ने सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तदनुसार उसने अपने यहाँ से समस्त फ्रांसीसी कर्मचारियों को हटा दिया। अंग्रेजों की 6 बटालियनें निजाम के राज्य की सुरक्षा के लिए तैनात हुईं। इस सेना के व्यय के लिए उसने 24 लाख रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया। हैदराबाद में एक ब्रिटिश रेजीडेण्ट नियुक्त हुआ। निजाम ने सम्पूर्ण ब्रिटिश शासनकाल में सहायक सन्धि का पालन किया। वह सदा अंग्रेजों का मित्र और संरक्षक रहा।

नवाब अवध के साथ सहायक सन्धि—इसके बाद वेलेजली ने अवध के नवाब को सहायकसन्धि स्वीकार करने के लिए विवश किया। अवध का शासन बहुत बिगड़

Scanned with CamScanner

गया था, अतः वेलेजली ने हस्तक्षेप का अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। इसके अतिरिक्त अवध पर अफगानों के आक्रमण की भी आशंका थी। सिक्खों और मराठों के आक्रमण का भी भय था। उधर वेलेजली नवाब अवध को डरा-धमका रहा था। उसने नवाब अवध के सामने प्रस्ताव रखा कि वह अपनी सेना में कमी कर अंग्रेजी सेना में वृद्धि करे। नवाब के विरोध करने पर उसे पदच्युत करने की धमकी दी गई और उस पर सैनिक दबाव डाला गया। विवश होकर नवाब ने सहायक सन्धि स्वीकार कर ली।

इस सन्धि के अनुसार अवध का आधा राज्य, जिसमें रुहेलखण्ड व दक्षिण दोआब शामिल थे, अंग्रेजों को प्राप्त हुए। अवध में ब्रिटिश सेना की संख्या काफी बढ़ा दी गई। नवाब अवध की सेना भंग कर दी गई। केवल व्यवस्था कायम रखने और कर वसूल करने के लिए थोड़ी-सी सेना रहने दी गई। अवध में ब्रिटिश रेजीडेण्ट नियुक्त किया गया जो राज्य के आन्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा। व्यावहारिक दृष्टि से सारा अवध अंग्रेजों के अधीन आ गया और चारों ओर से अंग्रेजों से घिर गया। अवध की पूरी तरह अपने संरक्षण में ले लेने से, कम्पनी राज्य की सीमा अधिक सुरक्षित हो गई।

मैसूर से सहायक सन्धि—टीपू सुलतान को पराजित करने के बाद वेलेजली ने मैसूर की गद्दी पर एक हिन्दू राजा को बैठाया और उस पर भी सहायक सन्धि को लाद दिया गया। इसका वर्णन 'मैसूर का उत्थान और पतन' वाले अध्याय में किया जा चुका है।

मराठों में सहायक सन्धि—मराठों के पारस्परिक संघर्ष के कारण जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक सन्धि को स्वीकार कर लिया तो अन्य मराठा सरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वेलेजली ने उन्हें पराजित किया और उनको भी सहायक सन्धि स्वीकार करने के लिए विवश किया। इसका वर्णन 'मराठों का अंग्रेजों से संघर्ष' वाले अध्याय में किया जा चुका है।

अन्य राज्यों के प्रति वेलेजली की नीति—सहायक सन्धि के आधार पर वेलेजली ने और भी अनेक देशी राज्यों पर कम्पनी का प्रभुत्व स्थापित किया। उसने कर्नाटक, सूरत, तंजौर, फर्रुखाबाद आदि को अपनी नीति का शिकार बनाया। कर्नाटक और अंग्रेजों का सम्बन्ध बहुत पुराना था। जब कर्नाटक की आर्थिक दशा खराब होने लगी और ऋण-भार से दबे रहने के कारण कर्नाटक का नवाब अंग्रेजी सेना का व्यय नियमित रूप से नहीं दे सका तो वेलेजली ने उसकी नवाबी खत्म कर कर्नाटक को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करने की योजना बनाई। टीपू की पराजय के बाद श्रीरंगपट्टम से मिले कुछ कागजातों के आधार पर उसने नवाब मुहम्मदअली और उसके बेटे उमदत्त-उल-उमरा पर टीपू को सहायता देने व अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यन्त्र करने का आरोप लगाया। 1801 ई. में उमदत्त-उल-उमरा की मृत्यु के बाद वेलेजली ने उसके बेटे अली हुसैन को कर्नाटक की गद्दी से वंचित कर उसके भतीजे आजम-उद्दौला के साथ एक सन्धि की। इस सन्धि के अधीन आजम-

उद्दौला को नवाबी प्रदान की, किन्तु कर्नाटक का शासन सीधा कम्पनी के हाथों में चला गया। नवाब को राज्य की आय का पाँचवाँ हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाने लगा।

तंजौर और सूरत को भी इसी प्रकार वेलेजली ने कम्पनी राज्य में सम्मिलित कर लिया। दक्षिण भारत में स्थित तंजौर का छोटा-सा मराठा राज्य आन्तरिक कलह से पीड़ित था। वेलेजली ने हस्तक्षेप करके वहाँ के शासक को 40 हजार पौण्ड वार्षिक पेंशन देकर तंजौर का राज्य कम्पनी को सौंप देने के लिए विवश कर दिया। सूरत के नवाब की तरफ कम्पनी की सेना के व्यय के रुपये बाकी थे। 1799 ई. में नवाब की मृत्यु हो गई। अगले ही वर्ष वेलेजली ने नवाब के भाई और भतीजे को बाध्य किया कि सूरत का राज्य कम्पनी को सौंप दिया जाए। नवाब के लिए एक लाख रुपये वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी गई। फर्रुखाबाद आदि अवध के नवाब अधीनस्थ छोटे राज्य थे। अवध से सहायक सन्धि करने के बाद फर्रुखाबाद को वेलेजली ने कम्पनी राज्य में मिला लिया और नवाब को पेंशन दे दी।

वेलेजली के सुधार

वेलेजली ने भारत में पूरी तरह साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। वह कम्पनी के प्रभुत्व और क्षेत्र के विस्तार में तत्पर रहा अतः आन्तरिक सुधारों की ओर वह कोई ध्यान न दे सका। फिर भी उसने भूमि-कर तथा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार किए। भारतीयों को अंग्रेजों के अधीन नौकरी पर रखने के लिए शिक्षित करना जरूरी था, अतः कलकत्ता में एक विद्यालय खोला गया। वेलेजली ने बाल-हत्या और सती-प्रथा को रोकने के लिए भी प्रयास किए, पर उसे सफलता नहीं मिली। उसने अंग्रेजों के धर्म-ग्रन्थ बाइबिल का अनेक भाषाओं में अनुवाद कराया।

वेलेजली का मूल्यांकन

वेलेजली ने अपने शासनकाल में अनेकों युद्ध किए, अतः न केवल कम्पनी की विपुल धनराशि व्यय हुई, बल्कि कम्पनी के व्यापार को भी क्षति पहुँची। वेलेजली ने कम्पनी के संचालकों के आदेशों की भी अनेक बार उपेक्षा की। अतः एक अत्यन्त सफल और निपुण गवर्नर जनरल होते हुए भी वेलेजली को अगस्त, 1805 ई. में वापस बुला लिया गया।

वेलेजली जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था, उस समय कम्पनी शोचनीय अवस्था में थी, किन्तु जब वह भारत से लौटा तो कम्पनी की दशा बहुत सुदृढ़ हो गई थी। वेलेजली के कार्यों की समीक्षा करते हुए डॉ. ईश्वरी प्रसाद का कथन है—

"वेलेजली की सफलताएँ युद्धो अथवा युद्ध की धमकियों का परिणाम थीं। उसका उद्देश्य कम्पनी सरकार को भारत की केन्द्रीय सार्वभौम सत्ता बनाना था—एक ऐसी राजसत्ता बनाना जो भारत के प्रमुख राज्यों को अपने इशारे पर चला सके। इस उद्देश्य में उसको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। भारत से विदाई लेने से पहले वह सारे प्रधान-प्रधान राज्यों को सैनिक बल से अथवा सैनिक बल की धमकियाँ देकर कम्पनी के साथ 'सहायक सन्धियों' में जकड़ चुका था। वेलेजली की ये सहायक

Scanned with CamScanner

सन्धियाँ उसके अपने ही दिमाग की उपज तो नहीं थीं, परन्तु इनके उद्देश्य एवं क्षेत्र को पूर्णतया विकसित करने का श्रेय उसे अवश्य प्राप्त है। भारतीय राज्यों को एक-दूसरे से पृथक् कर और उनकी फ्रांसीसी सेनाओं को भंग कर उसने इन राज्यों के फ्रांसीसी अधिकारियों की देख-रेख में सिखाई-सजाई हुई सेनाएँ भंग कर एक गुट में संगठित होने के भय को निर्मूल कर दिया। अपनी विजयों से उसने कम्पनी के अधिकृत प्रदेशों का अत्यधिक विस्तार कर दिया और कम्पनी की राज्य-सीमा को इस स्थिति तक पहुँचा दिया कि अब वह अपनी सर्वोच्चता पर आघात करने वाली किसी भी शक्ति का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ हो गई। कटक को कम्पनी के राज्य में मिलाकर उसने मद्रास और बंगाल के बीच व्यवधान मिटा दिया और बुन्देलखण्ड को इसके समस्त छोटे-छोटे रजवाड़ों सहित अंग्रेजी संरक्षण में लाकर तथा इस प्रकार उन्हें अंग्रेजी शक्ति के स्थायित्व का इच्छुक बनाकर उसने उत्तर भारत में कम्पनी को सर्वथा निर्भय बना दिया। टीपू के जिन प्रदेशों को उसने कम्पनी राज्य में सम्मिलित किया, इससे वह मैसूर-राज्य के चारों ओर के अंग्रेजों के अधिकृत प्रदेशों से घिर गया और अंग्रेज इस स्थिति में हो गए कि निजाम अथवा मराठों में अपने प्रति शत्रुता का थोड़ा भी संकेत पाकर वे उनसे तत्काल निपट सकें। मैसूर में हिन्दू राजवंश को प्रतिष्ठित कर उसने टीपू के मुसलमान राज्य और निजाम के मिलने की सम्भावनाओं की जड़ ही काट डाली। मराठा राज्यों के बीच में कम्पनी के अधिकृत प्रदेशों का जाल बिछाकर अथवा किसी ऐसे राज्य के प्रदेशों को स्थापित कर जो कम्पनी के संरक्षण में हों, उसने मराठा राज्यों को एक-दूसरे से पृथक् कर दिया। इन सबसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य उसने यह किया कि समस्त भारत की राजधानी दिल्ली को तथा इसके बादशाह अन्धे शाहआलम को कम्पनी के नियन्त्रण में लाकर उसने कम्पनी को बादशाह के नाम पर वह लाभ प्राप्त करने का अवसर दिला दिया जो अब तक मराठे उठाते आ रहे थे। बादशाह को कम्पनी का वृत्तिभोगी (पेंशनर) बनाने तथा उसके प्रतिनिधि शासक (वकील-ए-मुल्लक) पेशवा को कम्पनी के अधीन कर लेने के कारण वेलेजली को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व का संस्थापक कहना उचित ही है।"

"पूरे सात वर्षों तक वेलेजली भारत के किसी न किसी भाग में युद्ध चलाता रहा। उसके ये सामरिक प्रयत्न आवश्यकता के परिणाम नहीं थे, अपितु प्रभुत्व की आकांक्षा से प्रेरित थे। उन्हें आवश्यकता का परिणाम तभी माना जा सकता है जब भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार को भी आवश्यक मान लिया जाए। अपनी शक्ति और अपने प्रतिपक्षियों की दुर्बलता से परिचित वेलेजली का आचरण उस उद्दण्ड बालक के समान था जो अपने से कमजोर बच्चों की मिठाई पर हाथ मारता फिरता हो।"

वेलेजली के कार्यों का मूल्यांकन करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली, वारेन हेस्टिंग्ज ने उस साम्राज्य को सुसंगठित और सुव्यवस्थित किया तथा वेलेजली ने उस साम्राज्य का विस्तार